संख्या 421/उन्तीस(2)/07–(21पे0)/2007

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 26 अप्रैल, 2007

विषयः– **जनपद देहरादून में अभावग्रस्त क्षेत्रों की नगरीय पेयजल योजनाओं के पाइप लाइन विस्तारीकरण हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 5805/प्राक्कलन/धनआ0/2006–07 दिनांक 26.03.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पाइप लाइन विस्तारीकरण से सम्बन्धित कार्यो हेतु रू0 10.18 लाख की लागत के प्राक्कलन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 9.45 लाख (रूपये नौ लाख पैंतालीस हजार मात्र) की लागत के आंगणन की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उतनी ही धनराशि को निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
01	02	04
01	करनपुर (कोहली वाली गली) में पाइप लाइन बदलना	2.29
02	सरकुलर रोड़ में पाइप लाइन बदलना	2.75
03	चन्द्रनगर धर्मपुर जोन में पाइप लाइन बदलना	4.41
	योग	**9.45**

(i) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(ii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

.....2

(IV) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

(V) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें ।

(VI) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(VII) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(VIII) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाये।

(IX) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047.XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें ।

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि जहॉ–जहॉ पर स्रोत सूख गये है वहॉ चालखाल भी बनाये जाय तथा बॉस के वृक्ष लगाये जाये। विभाग श्रोतों की मैपिग कराया जाना सुनिश्चित करेगा। जनपद में सूखे नालो को भी पुनरीक्षित करने का कार्यवाही की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि से संलग्नक में उल्लिखित नगरीय पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। योजनावार स्वीकृत धनराशि के संबंधित शाखा को आवंटन की सूचना धनराशि आहरण के एक सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जायेगा । आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एव महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

5– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–87(1) दस–97–17(4)/75 दिनांक 27–02–97 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सेन्टेज चार्जेज के रुप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी । कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणन में सेन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

6– कार्य उक्त लागत में निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इस लागत में किसी भी प्रकार का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा।

.....3

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 अथवा इसके पूर्व ही उपयोग सुनिश्चित करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

8– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत– 101–शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–03–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार एंव सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 20/XXVII(2)/ 07 दिनांक 11 अप्रैल, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

पृ0स0 421 /उन्तीस(2)/07–(21पै0)/2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल।
9. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव